# eNEWS LETTER

## March-2016

Jodhpur Development Authority was established under Jodhpur Development Authority Act,2009(Act No. 2 of 2009) under the Department of Urban Development and Housing, Government of Rajasthan for the purposes of planning, coordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of the Jodhpur Region and of executing plans, projects and schemes for such development and to provide for matters connected there with.

## Composition of Jodhpur Development Authority

A Chairman appointed by the State Government

A Vice-chairman, Jodhpur Development Commissioner, Jodhpur

Principal Secretary to the Government, Urban Governance [Development and Housing] Department or his representative not below the rank of Deputy Secretary

Deputy Housing Commissioner, Rajasthan Housing Board, Jodhpur

Additional Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Jodhpur

Additional Chief Engineer, Public Works Department, Jodhpur

District Collector, Jodhpur

Chief Managing Director, Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd., Jodhpur

Chairman/Administrator, Municipal Corporation, Jodhpur

Zila Pramukh of Zila Parishad, Jodhpur

Deputy Town Planner, Jodhpur

Non official members, not exceeding seven to be nominated by the State Government

## Contact us

Jodhpur Development Authority
Opposite Railway Hospital
Railway Hospital Road,
Ratanada, Jodhpur(Rajasthan) 342001 India
e-mail-jdajodhpur-rj[at]nic[dot]in
Phone No.- 0291-2612086, 0291-2656355
Fax No. - 0291-2615372

## Ratan Lahoti
**(I.A.S)**
## Chairman

"" जोधपुर शहर की जनता द्वारा किये गये अभिनन्दन के लिये आभार व्यक्त करता हूँ। शहर के समग्र विकास हेतु कार्य करना ही मेरा एक मात्र लक्ष्य हैं तथा इसी संकल्प के साथ मैं कार्य करूंगा।
जोधपुर शहर की जनता से अपील हैं कि शहर के विकास में अधिकाधिक भागीदारी निभाए ताकि शहर के विकास हेतु रचनात्मक एवं ठोस कार्य निरन्तर आगे बढे.। ""

## Joga Ram
**(I.A.S)**
## Commissioner

"" जोधपुर शहर के विकास में प्राधिकरण अपनी भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्पित है। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से जोधपुर के विकास में हम सब मिलकर अपना योगदान देंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ""

## Durgesh Kumar Bissa
**(R.A.S)**
## Secretary

"" जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर शहर के समग्र एवं सुनियोजित विकास के लिए दृढ. संकल्प है। मेरा विश्वास है कि इस कार्य को सही दिशा में क्रियान्वित करने के लिए आप सबका अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा। आप हम सब मिलकर विकास के इस सपने को साकार करें। ""

## Disclaimer

eNews Letter तैयार करने में सभी तथ्यों को सावधानी से चेक किया गया है। फिर भी मानवीय भूल से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे तथ्यों के आधार पर सुधार कर पुनः प्रदर्शित किया जा सकता है। आपके सुझाव व आपत्ति निम्न पते या ईमेल पर भिजवाए जा सकते है।

**दिनांकः–** 01/04/2016

**पताः–**जोधपुर विकास प्राधिकरण,
रेल्वे हॉस्पिटल के सामने, रेल्वे हॉस्पिटल रोड,
रातानाडा, जोधपुर।

**ईमेलः–** jdajodhpur-rj[at]nic[dot]in

**फोनः–** 97990–42144
देवेन्द्र गहलोत
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर

# Concrete Activities

## प्राधिकरण द्वारा नवीन आवासीय योजना झरणा विहार की लॉचिंग व अरणा विहार की लॉटरी सम्पन्न कार्यकारी समिति की बैठक सम्पन्न –

जोधपुर के प्रथम नागरिक महापौर श्री घनश्याम ओझा, जोधपुर विकास आयुक्त जोगाराम, सूरसागर विधायिका श्रीमती सुर्यकान्ता व्यास, मीडिया, जोधपुर के प्रबुद्ध नागरीकगण, समाजसेवी, जनप्रतिनिधिगण, प्राधिकरण व विभिन्न विभागों के अधिकारीगण के सानिध्य में प्राधिकरण की झरणा विहार आवासीय योजना की लॉचिंग हुई। प्राधिकरण सचिव ने लॉचिंग के दौरान इस योजना को महत्वपूर्ण बताते हुये कहा कि योजना के समीप पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल होने के साथ–साथ शिक्षण संस्थान, तीर्थ स्थान भी है। बिस्सा ने सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों, मीडियाकर्मियों, जनप्रतिनिधियों व आमजन का स्वागत करते हुए योजना के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की। प्राधिकरण ने सभी अतिथियों व आमजन को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अरणा विहार योजना की लॉटरी की शुरूआत करने हेतु महापौर व विधायिका को आमंत्रित किया। लॉटरी पूर्णतः पारदर्शी व मेन्युअल तरीके से प्रबुध नागरिकों, मीडियाकर्मियों के सम्मुख खोली गई। लॉटरी में आमजन द्वारा बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया गया। अरणा विहार आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा 940 भूखण्ड आवंटित किए गये इस योजना हेतु कुल 6210 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें 6131 आवेदन पत्र लॉटरी में शामिल करने योग्य पाये गये थे। आरक्षित वर्ग में सबसे कम तीन आवेदन ही अधिस्वीकृत पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे।

विकास प्राधिकरण के उपायुक्त ने बताया कि प्राधिकरण की झरणा विहार आवासीय योजना में भूखण्डों का आकार 40.5 वर्गमीटर, 72 वर्गमीटर, 120 वर्गमीटर, 162 वर्गमीटर, 234 वर्गमीटर, 375 वर्गमीटर तक के भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटित किये जायेगे योजना की आरक्षित दर रू. 5555 प्रति वर्गमीटर रखी गई है। इस योजना में कुल भूखण्डों की संख्या 791 है। झरणा विहार आवासीय योजना में व्यापक सुविधाएँ सामुदायिक सुविधाएँ हेतु 365082. 20 वर्गमीटर भूमि क्षेत्र योजना में आरक्षित किया गया है, जिसमें विद्यालय, चिकित्सालय एवं जन सुविधाएँ विकसित की जानी प्रस्तावित है। झरणा विहार आवासीय योजना जोधपुर के राजस्व ग्राम बड़ली संख्या 88 में स्थित है। योजना जोधपुर रेल्वे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

झरणा विहार आवासीय योजना में लोगों को नियोजित ढंग से बसाने के लिये आधुनिकतम सुविधाओं के विकास, रचनात्मक कार्यों हेतु स्थान एवं व्यवस्था उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान रखा गया हैं। उक्त योजना में आवासीय जल निकासी एवं सीवरेज की सुचारू व्यवस्था की गई है। योजना में विद्युत एवं पेयजल हेतु संचारू व्यवस्था की गई है। पेयजल के रूप में नहरी स्वच्छ उपचारित पानी उपलब्ध होगा। उक्त योजना में आवासीय सुविधाओं के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मानवीय नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए नियमानुसार क्षेत्र में पार्क एवं पर्यावरण संरक्षण पार्क, विद्यालय, अस्पताल प्रस्तावित गये है। योजना में सड़क के साथ साथ वृक्षारोपण करते हुए हरियाली का पर्याप्त ध्यान रखा गया हैं विश्वास है जोधपुर की ऐतिहासिक, सांसकृतिक, सामरिक और रचनात्मक रूप से अब तक जो पहचान रही है उसमें सर्वथा नया अध्याय जोड़ने में यह योजना कारगर ही नहीं, कामयाब भी साबित होगी।

# Concrete Activities

झरणा विहार आवासीय योजना में, आवासीय 42.19, सुविधायें (O.C.F./P.U.) 13.43, पार्क 11.82, व्यवसायिक 2.10, सड़कें 29.59, इनफोरमल मार्केट 00.87 प्रतिशत भू उपयोग किया गया हैं। नई लॉच झरणा विहार आवासीय योजना में आवंटन हेतु 4.5 X 9 के 135, 6 X 12 के 106, 8 X 15 के 220, 9 X 18 के 120, 13 X 18 के 115, 15 X 25 के 95 भूखण्ड प्रस्तावित किए गए है।

प्राधिकरण के उपायुक्त मोहनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि आवेदन पत्र एक्सिस बैंक के माध्यम से 12 मार्च से 22 अप्रैल तक प्राप्त किये जा सकेगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र मय पंजिकरण राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 2 मई 2016 निर्धारित की गई है। राजपुरोहित ने बताया की प्राधिकरण की वेबसाईट jodhpurjda.org से योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। योजना में नियमानुसार सरकारी कर्मचारियो, सैनिक/सेवा निवृत सैनिक एवं सेवाकाल के दौरान वीरगति को प्राप्त सैनिक विधवायें, एवं आश्रित, अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति, निःशक्त जन, अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिये आरक्षण रखा गया है। राजपुरोहित ने बताया कि विभिन्न आयवर्ग अनुसार वसूली योग्य आरक्षित मूल्य में जिनका वेतन 10 हजार रूपये से अधिक नही है उनको आरक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि पर भूखण्ड आवंटित किया जायेगा। इसी प्रकार जिनकी आय 10 हजार एक से 15 हजार रूपये तक है उनको आरक्षित मूल्य के 60 प्रतिशत पर भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटित किया जायेगा ।

# Concrete Activities

## कार्यकारी समिति की बैठक सम्पन्न –

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक जोधपुर विकास आयुक्त डॉ. जोगाराम की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम दिनांक 11 जनवरी 2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। तत्पश्चात् अरणा विचार योजना में भूखण्ड आवंटन लॉटरी की पुष्टि भी की गई।

बैठक में प्राधिकरण संबंधित क्षैत्र एवं शहर की मुख्य रोड़ो पर पथ प्रकाश व्यवस्था, विद्युत शाखा के वार्षिक दर संविदा के तहत करवाये जाने वाले कार्य, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक–मुख्यालय परिसर निर्माण हेतु भूमि आवंटन पर भी चर्चा की गई।प्राधिकरण की इस बैठक में राजस्थान लोक उपासन में पारदर्शिता 2012 एवं नियम 2013 के संनिर्माण कार्यो के अलावा समस्त प्रकार की सामग्रियों/स्टोर सेवाओं हेतु कमेटियों के गठन के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न राजकीय विभागों को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में चर्चा कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश भी प्रदान किये गये।

## जेडीसी द्वारा राजस्थान सम्पर्क के प्रकरणों में जनसुनवाई सम्पन्न –

जोधपुर विकास प्राधिकरण में राजस्थान सम्पर्क पोटर्ल पर प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रकरणों पर जनसुनवाई हुई जनसुनवाई में दूरभाष पर पूर्व सूचना देकर आमंत्रित परिवादीगण की जनसुनवाई कर हाथों–हाथ प्रकरणों का निस्तारण किया गया । गुरुवार को हुई जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों, मिडीयाकर्मीयों, जनप्रतिनिधियों के समक्ष परिवादीगण को आयुक्त द्वारा तल्लिनता से सुना गया व प्रकरणों में हुई प्रगति के बारे में सम्बन्धित को आवश्यक जानकारी दी गई ।

प्राधिकरण सचिव बिस्सा ने बताया कि अधिकारियों द्वारा आयुक्त व परिवादियों को प्रकरणों में पूर्व में ही किये जा चुके निराकरण व प्रगति के बारे में भी परिवादियों को अवगत करवाया गया। अतिक्रमण के मामलों में आयुक्त ने तहसीलदारों को पटवारी व अतिक्रमण रोक निरीक्षकों की टीम बनाकर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र करने के निर्देश भी प्रदान किये। आयुक्त ने साफ रुप से निर्देश प्रदान किये की प्राधिकरण का यह दायित्व है कि प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाली सरकारी भूमियों व योजनाओं में किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दास्त नहीं किया जायेगा, आयुक्त ने अधिकारीगण को टीम भावना से कार्य सम्पादित करने के निर्देश भी प्रदान किये। आयुक्त ने अधिकारियों को कहा की जो प्रकरण प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है उन प्रकरणों को सम्बन्धित विभागों को टिप्पणी से साथ प्रेषित करें।

मिडीया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आयुक्त ने कहा कि प्राधिकरण में नियमित रुप से जनसुनवाई भी की जाती है, नियमित सुनवाई के दौरान भी प्राधिकरण के प्रति प्राप्त शिकायत व सुझावों को गम्भीरता से लिया जाकर सम्बन्धित अधिकारी को यथासमय उचित निराकरण के निर्देश भी प्रदान किये जाते है।

# Concrete Activities

## जोधपुर यातायात नियत्रंण बोर्ड की बैठक सम्पन्न –

जोधपुर विकास प्राधिकरण में शहर में सुगम व सुचारु यातायात उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जोधपुर विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष जोधपुर यातायात नियत्रंण बोर्ड की अध्यक्षता में आज प्रातः 10 बजे बैठक का आयोजन किया गया।

यातायात नियत्रंण बोर्ड की बैठक में जोधपुर नगर निगम के महापौर प्राधिकरण सचिव दुर्गेश बिस्सा, विकास शर्मा, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, बुगलाल मीणा, एसीपी (ट्राफिक), निदेशक वित्त अतुलबल रतनु, उपायुक्त, मोहनसिंह राजपुरोहित, अर्जुनसिह राठौड़, आरटीओए, प्रेमराज खन्ना डीटीओ (ट्रान्सपोर्ट), निदेशक–अभियांत्रिकी ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक विधि नरपतसिंह शेखावत, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। सर्वप्रथम दिनांक 19 अक्टूम्बर, 2015 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गई। तत्पश्चात् जोधपुर के विभिन्न मुख्य मार्गो के पास वाहनो की पार्किंग के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में यातायात संकेतकों की स्थापना व क्रियान्वयन के संबंध में, नगर निगम जोधपुर द्वारा बी.आर.टी.एस बसों के संचालन, यातायात में बाधक अतिक्रमण हटाकर जनता को राहत दिलाने, विभिन्न चौराहों व तिराहों पर सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने, विभिन्न चौराहों की प्रत्येक रोड़ पर स्टोप लाईन व जेबरा क्रॉसिंग की लाईनों को पुनः बनवाने, विभिन्न स्थानों पर सिंग्नल लाईट का खंभा लगवाने, विभिन्न स्थानों पर डिवाईडर बनाने, मण्डोर ऑवरब्रिज पर लगी रैलिंग की मरम्मत करने, चौपासनी गांव से वस्त्र मंत्रालय कार्यालय तक पक्की सड़क बनवाने व सड़क की चौड़ाई बढाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में नगर निगम के महापौर ने भी यातायात व उससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं में निगम द्वारा भी सहयोग देने का आश्वासन देते हुए कहा कि जोधपुर की आमजन को राहत दिलवाने में निगम कोई कौर–कसर नहीं छोड़ेगा, महापौर ने आगे बढ़कर निगम द्वारा भी विभिन्न कार्य करवाये जाने की घोषणा भी की है। बैठक में यातायात संबंधित शहर के नागरिक द्वारा प्राप्त सुझाव पर भी चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मुख्य रुप से वर्तमान में हुई वाहन दुर्घटनाओं का विशेष रुप से जिक्र करते हुए दुर्घटनाओं के कारणों व उनके स्थाई सामाधान करने के भी निर्देश प्रदान किये गये। बैठक में कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर द्वारा विभिन्न स्थानों पर गतिसीमा/स्कूल/आबादी क्षेत्र के बोर्ड लगवाये जाने एवं सड़क डिवाईडर निर्माण की व्यवस्था करवाने का अनुरोध किया गया जिस पर सहमति प्रदान की गई । विभाग द्वारा सर्किट हाउस चौराहा, खासबाग तिराहा, भास्कर चौराहा, ग्रीनगेट चौराहा पर नये यातायात सिग्नल लाईटें लगाये जाने की सुझाव देने के साथ–साथ विभिन्न स्थानों पर नई जेब्रा लाईन बनाई जाने, पार्किंग लाईन व स्लीप लाईन बनाई जाने, नये पार्किंग स्थल विकसित किये जाने वाले स्थानों के प्रस्ताव भी दिये जिसे प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार मौके का निरीक्षण कर शीघ्र ही निस्तारित करने के निर्देश सम्बन्धित अभियन्ताओं को प्रदान किये गये। बैठक में यातायात व्यवस्था के आधुनिकरण, जोधपुर शहर के यातायात को सुगम, सरल व सुचारु बनाने के लिए प्राधिकरण व निगम द्वारा परोक्ष–अपरोक्ष रुप से

# Concrete Activities

योगदान दिये जाने का निर्णय लिया गया।

## जेडीए ने सांगरिया में अतिक्रमण हटाया –

जेडीए की अतिक्रमण निरोधक टीम ने सांगरिया में अतिक्रमण हटाया। खसरा संख्या 433 पर बड़े भूखंड पर अतिक्रमण किया हुआ था। जेडीए की टीम ने मौके से जेसीबी की मदद से छीणें, फाचरे तथा कांटों की बाड़ हटा दी। इसकी शिकायत राजस्थान संपर्क में दर्ज कराई गई थी। इस कार्रवाई के दौरान जेडीए के तहसीलदार केसरसिंह, प्रवर्तन अधिकारी प्रवीण गहलोत, नवरतन गहलोत अनिल शर्मा मौजूद थे।